

(Published in Part - III Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary)
Tariff Authority for Major Ports

G. No.313

New Delhi,

3 November 2014

CORRIGENDUM
(Passed on this 13th day of October 2014)

This Authority had passed an Order on 29 November 2013 in Case No.TAMP/45/2013-CHPT relating to proposal from the Chennai Port Trust (CHPT) for notification of Reference Tariff for proposed project of Procurement of Mobile Harbour Crane and other cargo handling equipments at Chennai Port under PPP mode on BOO basis under the guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013. This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 17 December 2013 vide Gazette No.326.

2. Some printing errors have been observed in the Hindi Version of the said Gazette Notification with regard to the sub-point numbers under point number (vii) of paragraph no.16 in page no.20 and with regard to the point number after (vi) in Schedule 1.2 in Annex-II of the Order in page no.29.

3. In view of above, in the Hindi Version of the said Gazette Notification, the following changes are incorporated:

- (a). In page no.20 the sub-point numbers under point number (vii) of paragraph no.16 have been rearranged as follows:

As appeared in the Notification	To be read as follows
(vii). पूंजी लागतें:	(vii). पूंजी लागतें:
(क). सीएचपीटी द्वारा अनुमानित पूंजी लागत रु0 16814 लाख है। विविध पूंजी लागतों एवं आकस्मिकता पर भी सीएचपीटी द्वारा विचार किया गया है।	(क). सीएचपीटी द्वारा अनुमानित पूंजी लागत रु0 16814 लाख है। विविध पूंजी लागतों एवं आकस्मिकता पर भी सीएचपीटी द्वारा विचार किया गया है।
(ख). सीएचपीटी ने बताया है कि कार्गो पूर्वानुमान के आधारपर, तैनाती पर विचार करने के लिए कहा गया है। डम्परों के मामले में, डम्परों की क्षमता और बर्थों से भंडारगृह तक संख्या परिकल्पित की गई है। ऊपर बताई गई सूचना को छोड़कर,, इस संबंध में विशेष अनुरोध किए जाने के बावजूद। अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों का खंड 3.2 इस प्राधिकरण को योजना पर विचार करने के लिए प्रवृत्त है।	(ख). सीएचपीटी ने बताया है कि कार्गो पूर्वानुमान के आधारपर, तैनाती पर विचार करने के लिए कहा गया है। डम्परों के मामले में, डम्परों की क्षमता और बर्थों से भंडारगृह तक संख्या परिकल्पित की गई है। ऊपर बताई गई सूचना को छोड़कर,, इस संबंध में विशेष अनुरोध किए जाने के बावजूद। अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों का खंड 3.2 इस प्राधिकरण को योजना पर विचार करने के लिए प्रवृत्त है।
(ग). विशिष्ट अनुरोध के बावजूद, सीएचपीटी ने अधिग्रहीत किए जाने के लिए यथा प्रेषित पूंजी लागत अनुमानों पर विश्वास किया गया है।	(ग). विशिष्ट अनुरोध के बावजूद, सीएचपीटी ने अधिग्रहीत किए जाने के लिए यथा प्रेषित पूंजी लागत अनुमानों पर विश्वास किया गया है।

(घ). ईएलएल क्रेनों तथा एफसी के संदर्भ में, जैसाकि पहले बताया गया है, सीएचपीटी ने परिसंपत्ति की तत्संबंधित लिखित मूल्य पर प्रचालक को परिसंपत्तियों के मौजूदा पूल से उक्त परिसंपत्तियां हस्तांतरित करना परिकल्पित किया है। सीएचपीटी ने 01 अप्रैल 2013 को रु0 1801 लाख पर एफसी का बही मूल्य प्रेषित किया है और समग्र पूंजी लागत अनुमानन में इसपर विचार किया है। (ङ). ईएलएल क्रेनों के संदर्भ में, सीएचपीटी ने ईएलएल क्रेनों के 2 सैट का बही मूल्य भेजा है। 2004-05 में अधिग्रहीत 4 ईएलएल क्रेनों का एक सैट राशि रु0 1170.56 लाख और 2005-06 में अधिग्रहीत 4 ईएलएल क्रेनों का दूसरा सैट राशि रु0 5.79 करोड़ शामिल है। बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, सीएचपीटी ने स्पष्ट नहीं किया है कि इसने अपने पूंजी लागत अनुमानों में रु0 1556 लाख पर 6 ईएलएल क्रेनों का बही मूल्य विपथित किया है। ईएलएल क्रेनों कौन से सैट से प्रचालक को हस्तांतरित किए जाने के लिए परिकल्पित किया गया है के बारे में सूचना नहीं दिए जाने पर, प्रासंगिक ईएलएल क्रेनों का बही मूल्य परिगणित करने के लिए यह संभव नहीं पाया गया है। इसलिए, सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित ईएलएल क्रेनों की लागत पर इस विश्लेषण में विश्वास किया गया है। सीएचपीटी ने ईएलएल क्रेनों तथा एफसी की लागत के सिवाय उपस्कर की लागत के 5 प्रतिशत की दर से आकस्मिकता पर विचार किया है। अन्य मामलों के संबंध में अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते समय आकस्मिकता संबंधी लागत पर विचार किया गया है, इसलिए, इस मामले में भी विचार किया गया है। विविध पूंजी लागत पूंजी लागत के 5 प्रतिशत पर अनुमानित की गई है, जोकि बहुउद्देशीय कार्गो टर्मिनल एवं अन्य कार्गो टर्मिनलों के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार है। जैसाकि दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है, यह लागत अपफ्रंट भुगतान, कार्य पूंजी मार्जिन और निर्माण के दौरान ब्याज के लिए है।	ईएलएल क्रेनों तथा एफसी के संदर्भ में, जैसाकि पहले बताया गया है, सीएचपीटी ने परिसंपत्ति की तत्संबंधित लिखित मूल्य पर प्रचालक को परिसंपत्तियों के मौजूदा पूल से उक्त परिसंपत्तियां हस्तांतरित करना परिकल्पित किया है। सीएचपीटी ने 01 अप्रैल 2013 को रु0 1801 लाख पर एफसी का बही मूल्य प्रेषित किया है और समग्र पूंजी लागत अनुमानन में इसपर विचार किया है। ईएलएल क्रेनों के संदर्भ में, सीएचपीटी ने ईएलएल क्रेनों के 2 सैट का बही मूल्य भेजा है। 2004-05 में अधिग्रहीत 4 ईएलएल क्रेनों का एक सैट राशि रु0 1170.56 लाख और 2005-06 में अधिग्रहीत 4 ईएलएल क्रेनों का दूसरा सैट राशि रु0 5.79 करोड़ शामिल है। बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, सीएचपीटी ने स्पष्ट नहीं किया है कि इसने अपने पूंजी लागत अनुमानों में रु0 1556 लाख पर 6 ईएलएल क्रेनों का बही मूल्य विपथित किया है। ईएलएल क्रेनों कौन से सैट से प्रचालक को हस्तांतरित किए जाने के लिए परिकल्पित किया गया है के बारे में सूचना नहीं दिए जाने पर, प्रासंगिक ईएलएल क्रेनों का बही मूल्य परिगणित करने के लिए यह संभव नहीं पाया गया है। इसलिए, सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित ईएलएल क्रेनों की लागत पर इस विश्लेषण में विश्वास किया गया है। (घ). सीएचपीटी ने ईएलएल क्रेनों तथा एफसी की लागत के सिवाय उपस्कर की लागत के 5 प्रतिशत की दर से आकस्मिकता पर विचार किया है। अन्य मामलों के संबंध में अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते समय आकस्मिकता संबंधी लागत पर विचार किया गया है, इसलिए, इस मामले में भी विचार किया गया है। (ङ). विविध पूंजी लागत पूंजी लागत के 5 प्रतिशत पर अनुमानित की गई है, जोकि बहुउद्देशीय कार्गो टर्मिनल एवं अन्य कार्गो टर्मिनलों के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार है। जैसाकि दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है, यह लागत अपफ्रंट भुगतान, कार्य पूंजी मार्जिन और निर्माण के दौरान ब्याज के लिए है।
--	--

- (b). In page no.29, the point number (vii) may be inserted after point no.(vi) of Schedule 1.2 in Annex-II of the said Order and the sub point number (क), (ख), and (ग) may be read as forming part of point no.(vii).

(T.S. Balasubramanian)
Member (Finance)